सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 367 राँची, मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई, 2025

संचिका सं0-13/नि०वि०(अधिनियम)-15/2023(पार्ट-I) - 182/नि0 --संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल झारखण्ड एतद् द्वारा निम्नांकित नियमावली का गठन किया जाता है ।

भाग-1 सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ :-

(i) यह नियमावली झारखण्ड संस्था निबंधन नियमावली, 2025 कहलाएगी ।

(ii) इस का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड में होगा ।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से लागू होगी ।

2. परिभाषाएँ :- इस नियमावली में जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो :-

(i) इस नियमावली में अधिनियम से अभिप्रेत है संस्था निबंधन अधिनियम, 1860

(ii) धारा से अभिप्रेत है संस्था निबंधन अधिनियम की धारा ।

(iii) संस्था निबंधक से अभिप्रेत है संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 की धारा 3 के अन्तर्गत नियुक्त संस्था निबंधक ।

(iv) संगम ज्ञापन से अभिप्रेत है संस्था निबंधन अधिनियम 1860 की धारा-2 के अन्तर्गत समर्पित संगम ज्ञापन ।

(v) संस्था से अभिप्रेत है वह संस्था जिसे संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत निबंधित किया गया है ।

(vi) कार्यकारिणी समिति से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-2 के अन्तर्गत नियुक्त शासी परिषद् ।

भाग-2

3. संस्था गठन का प्रयोजन :-

संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 की धारा 20 में वर्णित प्रयोजन के अनुरूप संस्था का गठन निम्नांकित प्रयोजनों हेतु भी किया जा सकेगा ।

(i) सामाजिक कल्याण

(ii) शिक्षा का विकास

(iii) खेल का विकास

(iv) महिलाओं का कल्याण

(v) बच्चां का कल्याण

(vi) वन संरक्षण

(vii) जल संरक्षण

(viii) पर्यावरण संरक्षण

(ix) स्वास्थ्य की सुविधा एवं जागरूकता

(x) जनहित से संबंधित ऐसे विषय जिन्हें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार आवश्यक जाने ।

टिप्पणीः- संस्थाओं के निबंधन से संबंधित ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाऐंगेः-

(i) जिनका नाम पूर्व में निबंधित संस्थाओं के समान हो ।

(ii) गैर सरकारी संस्था जिनके नाम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी उपक्रम द्वारा प्रायोजित होने का आभास है ।

(iii) विशुद्ध रूप से किसी जाति, धर्म आदि को प्रोत्साहित करने वाली संस्था ।

(iv) ऐसी संस्थाएँ जिनका नाम केन्द्र अथवा राज्य सरकार के प्रावधान के प्रतिकूल है ।

(v) व्यवसायिक उद्देश्यों हेतु गठित संस्था ।

(vi) ऐसा कोई प्रयोजन जिससे संबंधित कार्य विशुद्ध रूप से सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है अथवा सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अलग अधिनियम अन्तर्गत ऐसी संस्था के निबंधन का स्पष्ट प्रावधान हो यथा- सहकारी संस्था, श्रमिक संगठन इत्यादि ।

(vii) उपरोक्त वर्णित नामों के अतिरिक्त किसी अन्य नाम का निबंधन निषिद्ध करने के संबंध में उचित आधार पर संस्था निबंधक द्वारा आदेश निर्गत किया जा सकेगा ।

(viii) ऐसी संस्थाएँ, जिसमें राज्य सरकार के स्तर से पद सृजन सहित आवर्त्तक/अनावर्त्तक व्यय की राशि की अपेक्षा की गई हो। परन्तु राज्य सरकार द्वारा पूर्व से स्वीकृत संस्थाओं एवं विभिन्न विभाग के अधीन गठित होने वाले संस्थाओं के मामले में यह लागू नहीं होगा ।

भाग - 3

4. संस्था का गठन एवं उद्देश्य :- संस्था निबंधन के आवेदन में निम्नांकित वर्णन अनिवार्य होगाः-

(i) संस्था का नाम

(ii) संस्था के प्रधान कार्यालय का वर्णन। संस्था का प्रधान कार्यालय यदि सरकारी भूमि अथवा सरकारी भवन में अवस्थित है तो संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ।

(iii) संस्था निबंधन का उद्देश्य जो अधिनियम की धारा 20 तथा नियमवाली के नियम 3 के अनुरूप हो ।

(iv) संस्था का कार्य क्षेत्र ।

(v) संस्था की कार्यकारिणी सूची तथा आमसभा के समस्त सदस्यों की सूची जिसमें नाम, पिता का नाम, स्थायी एवं वर्त्तमान पता, शैक्षिणिक योग्यता, पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अंकित हो। उक्त सूचियाँ किसी राजपत्रित पदाधिकारी/लेख्य प्रमाणक के द्वारा सत्यापित की जाएगी तथा इस संबंध में सत्यापन करने वाले व्यक्ति द्वारा निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। "सूची में वर्णित समस्त सदस्यों द्वारा अपनी पहचान मेरे समक्ष स्थापित की गयी तथा मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया।" प्रमाणित करने वाले व्यक्ति का पूर्ण विवरण अंकित किया जाएगा ।

(vi) संस्था की नियमावली में सदस्यता की शर्तें, सदस्यता समाप्ति की शर्तें, कार्यकारिणी समिति की अवधि, सदस्यों की संख्या, गठन की प्रक्रिया, कार्यकारिणी समिति के कार्य या अधिकार, कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य आदि का स्पष्ट वर्णन अनिवार्य है। साथ ही कार्यकारिणी के किसी सदस्य या पदाधिकारी के निष्कासन की प्रक्रिया का वर्णन भी अनिवार्य होगा ।

(vii) आमसभा में प्रवेश की प्रक्रिया, निष्कासन की प्रक्रिया, आमसभा के सदस्यों की कुल संख्या, आमसभा के कार्य एवं अधिकार का वर्णन नियमावली में आवश्यक है ।

(viii) संस्था का स्मृति पत्र, नियमावली संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा सत्यापित की जाएगी। सरकार द्वारा प्रायोजित संस्था के मामले में सचिव के द्वारा सत्यापित दस्तावेज स्वीकार किए जाएगें ।

(ix) यदि संस्था पूर्व से कार्यरत है तो स्मृति पत्र में उल्लेख किया जाएगा कि संस्था का गठन कब किया गया है। साथ ही संस्था के गठन से संबंधित समस्त अभिलेखों की अभिप्रमाणित प्रति, पूर्व के वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन भी आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ।

भाग-4

5. संस्था का निबंधन :-

(i) अधिनियम के नियम 3 के अन्तर्गत संस्था निबंधन हेतु केवल ऑनलाईन विधि से आवेदन विभागीय पोर्टल पर स्वीकार किया जाएगा ।

(ii) आवेदन के साथ संस्था का स्मृति पत्र, नियमावली, संस्था निबंधन हेतु आमसभा की बैठक की सूचना (जो बैठक के न्यूनतम दस दिन पूर्व निर्गत हो), आमसभा के बैठक की कार्यवाही (जिसमें बैठक में सम्मिलित समस्त सदस्यों का हस्ताक्षर हो), संस्था के कार्यालय का पता से संबंधित साक्ष्य, संस्था द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा शपथ पत्र जिसमें यह वर्णित हो कि संस्था की कार्यकारिणी में एक परिवार के एक से अधिक सदस्य नहीं हैं एवं संस्था के संबंध में समर्पित समस्त दस्तावेज सही हैं तथा इनके गलत पाये जाने पर संस्था का निबंधन रद्द किया जा सकेगा, कार्यकारिणी के सदस्यों, आमसभा के समस्त सदस्यों की सूची नाम पता शैक्षिणिक योग्यता पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षरयुक्त, समस्त सदस्यों के फोटोयुक्त पहचान पत्र (यथा-मास्क आधार कार्ड, वोटर आई०डी०, फोटोयुक्त बैंक पासबुक, फोटोयुक्त ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि की सत्यापित प्रति) अपलोड किए जाएगें ।

(iii) निबंधन के संबंध में यदि आवश्यक हो तो उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त संस्था निबंधक द्वारा अतिरिक्त सूचनाएँ भी मांगी जा सकेगी ।

(iv) निबंधित संस्था के नाम, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, नियमावली आदि में परिवर्तन हेतु भी ऑनलाईन आवेदन विभागीय पोर्टल पर समर्पित किये जाऐगें। जिसमें आमसभा की बैठक की सूचना (जो न्यूनतम दस दिन पूर्व निर्गत हो) बैठक की कार्यवाही (जो संस्था के सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित हो), बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि हेतु आहुत द्वितीय बैठक की सूचना (जो न्यूनतम दस दिन पूर्व निर्गत हो) द्वितीय बैठक की कार्यवाही (जो संस्था के सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित हो), संस्था द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा शपथ पत्र जिसमें यह वर्णित हो कि संस्था के संशोधन के संबंध में समर्पित समस्त दस्तावेज सही हैं, संशोधन के संबंध में संस्था के सदस्यों में किसी प्रकार का विवाद/मतभेद नहीं है तथा इनके गलत पाये जाने पर संस्था का संषोधन रद्द किया जा सकेगा, संलग्न किया जाएगा ।

(v) निबंधन अथवा निबंधन में संशोधन से संबंधित समस्त आवेदन, अधिनियम, नियमावली, विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेश एवं विभागीय पोर्टल पर संधारित जांच पत्रक के अनुरूप होना आवश्यक है।

(vi) निबंधन से संबंधित आवेदन त्रुटिपूर्ण होने पर इसे आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाईन लौटाया जाएगा तथा आवेदक द्वारा नब्बे दिनों के अंदर त्रुटि सुधार कर पुनः आवेदन समर्पित किया जाएगा। समय-सीमा के अंदर त्रुटि सुधार नहीं करने पर आवेदन स्वतः अस्वीकृत समझा जाएगा।

6. निबंधन शुल्क :-

(i) संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत रहने की स्थिति में नई संस्था के निबंधन हेतु अधिनियम की धारा 3 में वर्णित शुल्क के अतिरिक्त 3000/- (तीन हजार) रूपये कम्प्यूटराईजेशन शुल्क के रूप में विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन चुकाए जाएगें।

(ii) संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड अथवा इससे कम रहने की स्थिति में नई संस्था के निबंधन हेतु अधिनियम की धारा 3 में वर्णित शुल्क के अतिरिक्त 2000/- (दो हजार) रूपये कम्प्यूट्राईजेशन शुल्क के रूप में विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन चुकाए जाएगें।

(iii) सम्पूर्ण भारत कार्यक्षेत्र वाली संस्था के नाम, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, नियमावली आदि में संशोधन हेतु 1000/- (एक हजार) रूपये कम्प्यूट्राईजेशन शुल्क के रूप में विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन चुकाए जाएगें।

(iv) सम्पूर्ण झारखण्ड कार्यक्षेत्र अथवा इससे कम वाली संस्था के नाम, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, नियमावली आदि में संशोधन हेतु 1000/- (एक हजार) रूपये कम्प्यूट्राईजेशन शुल्क के रूप में विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन चुकाए जाएगें।

(v) केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रयोजित संस्था के मामले में केवल अधिनियम की धारा-3 में वर्णित शुल्क देय होगा।

(vi) अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत समस्त शुल्क एवं अर्थदण्ड विभागीय पोर्टल पर ई॰-ग्रास के सुसंगत कोषागार शीर्ष में जमा किया जाएगा।

7. निबंधन का नवीकरण :-

(i) सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं को छोड़कर समस्त संस्था का निबंधन प्रथम बार केवल तीन वर्ष तक के लिए किया जाएगा तथा तत्पश्चात निबंधित संस्थाओं द्वारा निबंधन के तीन वर्ष के उपरांत निबंधन का नवीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रथम नवीकरण के उपरांत संस्था के क्रियाकलापों के आधार पर स्थायी निबंधन किया जाएगा अथवा निबंधन रद्द समझा जाएगा। नवीकरण हेतु विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जाएगें।

(ii) सम्पूर्ण भारत कार्यक्षेत्र वाली संस्था के नवीकरण हेतु 3000/- (तीन हजार) रूपये का नवीकरण शुल्क विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन चुकाया जाएगा।

(iii) सम्पूर्ण झारखण्ड कार्यक्षेत्र वाली संस्था के नवीकरण हेतु 2000/- (दो हजार) रूपये का नवीकरण शुल्क विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन चुकाया जाएगा।

(iv) नवीकरण आवेदन के साथ विगत् तीन वर्षों में संस्था द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा, संस्था के आय-व्यय के संबंध में निबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रतिवेदन, नवीकरण की सहमति के संबंध में आमसभा की बैठक की सूचना (जो बैठक से न्यूनतम 10 दिन पूर्व निर्गत हो), बैठक की कार्यवाही (जो संस्था के सचिव सहित संस्था के दो अन्य पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित हो तथा आवेदन के साथ समर्पित कागजात की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी अथवा लेख्यप्रमाणक के समक्ष हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित शपथ पत्र भी अपलोड़ किया जाएगा)।

(v) नवीकरण के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होने पर संस्था निबंधक द्वारा इससे संबंधित जाँच करायी जा सकेगी तथा यदि यह प्रतीत हो कि आवेदन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समर्पित नहीं है/ओवदन के साथ समर्पित दस्तावेज वैध नहीं है/आवेदन के साथ शुल्क नहीं चुकाया गया है/संस्था अस्तित्वविहीन है/संस्था द्वारा निबंधन के उपरांत कोई कार्य नहीं किया गया है तो संस्था निबंधक द्वारा नवीकरण अस्वीकार किया जा सकेगा।

भाग-5

8. संस्था का दायित्व :-

(i) प्रत्येक निबंधित संस्था द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संस्था के क्रिया-कलाप के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऑनलाईन प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा। डाक से भेजे गए प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक निबंधित संस्था हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्था में कार्यरत कर्मचारियों का ब्यौरा प्रपत्र-'क' के माध्यम से ऑनलाईन समर्पित करेगी।

(iii) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा विदेष से प्राप्त राशि से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऑन-लाईन प्रपत्र-'ख' के माध्यम से समर्पित किया जाएगा।

(vi) प्रत्येक संस्था द्वारा संस्था को शुल्क के रूप में प्राप्त राशि, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं विदेश से प्राप्त राषि तथा अन्य स्तर से प्राप्त समस्त राशि की प्राप्ति तथा व्यय से संबंधित पंजी संधारित की जाएगी जिसे संस्था का कोई भी सदस्य निः शुल्क देख सकेगा। संस्था निबंधक के निदेष पर समस्त पंजियाँ अविलम्ब संस्था निबंधक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी।

(v) अधिनियम की धारा 4 एवं 4A के अन्तर्गत प्रतिवर्ष संस्था के कार्यकारिणी की अद्यतन सूची ऑनलाईन विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाएगी।

(vi) प्रत्येक निबंधित संस्था स्ववित्तपोषित संस्थान के रूप में संचालित होगी।

(vii) राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली राशि पूर्णतः स्वैच्छिक होगी अर्थात राज्य सरकार संबंधित संस्था को वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(viii) राज्य सरकार द्वारा पूर्व से स्वीकृत संस्थाओं एवं विभिन्न विभाग के अधीन गठित होने वाले संस्थाओं के मामले में उप कंडिका (vi) एवं (vii) लागू नहीं होगा।

9. संस्था से संबंधित विवाद एवं परिवाद :-

(i) संस्था के क्रियाकलाप के संबंध में संस्था की आमसभा के दस अथवा तीस प्रतिशत (जो कम हो) सदस्यों के द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर अथवा स्वप्रेरणा से संस्था निबंधक द्वारा जाँच की जा सकेगी।

(ii) इस संबंध में संस्था निबंधक संस्था से समस्त आवश्यक अभिलेख मांग सकेंगे।

(iii) इस संबंध में संस्था निबंधक संबंधित जिले के पदाधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ किसी अन्य पदाधिकारी से भी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सकेंगे।

(iv) संस्था से संबंधित किसी भी विवाद के मामलों में संस्था निबंधक के द्वारा आवश्यकतानुसार जांचोपरांत अथवा बिना जांच के सभी पक्षों की सुनवाई कर यथोचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया जाएगा।

(v) संस्था निबंधक द्वारा पारित समस्त आदेश राजस्व पर्षद, झारखण्ड के समक्ष अपीलनीय होगा। परित आदेश के विरूद्ध अपील अधिकतम 90 (नब्बे) दिनों के अंदर दायर किया जा सकेगा।

भाग-7

10. संस्था के निबंधन का रद्दीकरण :-

अधिनियम की धारा-23 के प्रावधानों के अतिरिक्त निम्नांकित आधार पर संस्था निबंधक द्वारा संस्था का निबंधन रद्द किया जा सकेगा।

(i) संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन तीन साल तक ससमय नहीं समर्पित करने पर।

(ii) संस्था के अस्तित्वविहीन होने अथवा संस्था निबंधक को पूर्व सूचित स्थान पर संस्था के कार्यरत नहीं होने पर।

(iii) संस्था द्वारा ससमय नवीकरण नहीं कराने पर संस्था का निबंधन स्वतः रद्द समझा जाएगा एवं इस आशय का आदेश निर्गत करना आवश्यक नहीं होगा।

(iv) संस्था के क्रिया-कलाप के विरूद्ध केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की जाँच एजेंसी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर।

(v) संस्था अथवा इसके पदधारकों के द्वारा कदाचार में लिप्त होने पर ।

(vi) संस्था के किसी पदाधिकारी के विरूद्ध किसी न्यायालय में संस्था के क्रियाकलाप से संबंधित आरोप सिद्ध होने पर।

(vii) अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत अर्थदण्ड का भुगतान नहीं करने पर।

(viii) संस्था निबंधक का समाधान होने पर अन्य किसी कारण से।

भाग-8

11. दस्तावेजो का अवलोकन, प्रतिलिपि एवं पंजी संधारण :-

(i) कोई भी व्यक्ति निबंधित संस्था के निबंधन प्रमाण पत्र तथा संगम के ज्ञापन का अवलोकन 500/- (पांच सौ) रूपये शुल्क चुकाकर कर सकेंगे तथा दस्तावेजों की प्रतिलिपि 1000/- (एक हजार) रूपये का ऑन-लाईन शुल्क चुका कर प्राप्त कर सकता है।

(ii) संस्था निबंधक द्वारा निबंधित संस्थाओं के संबंध में प्रपत्र-ग में ऑनलाईन दस्तावेज संधारित किया जाएगा।

(iii) संस्था निबंधक द्वारा निबंधन अस्वीकार की गयी संस्थाओं के संबंध में प्रपत्र-घ में ऑनलाईन प्रतिवेदन संधारित किया जाए।

(iv) संस्था निबंधक द्वारा निबंधन रद्द की गयी संस्थाओं से संबंधित सूचना प्रपत्र-ड़ में ऑनलाईन संधारित की जाएगी।

भाग-9

12. निरसन एवं व्यवृतियाँ :-

(i) बिहार संस्था निबंधन नियमावली, 1965 झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) इस निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली के अन्तर्गत पूर्व में संपादित कोई कार्य अप्रभावित माना जाएगा।

भाग-10

13. विविध :-

(i) इस अधिनियम के अन्तर्गत सदभावपूर्वक संस्था निबंधक अथवा इसके अधीनस्थ किसी कर्मी द्वारा किये गये कार्य के विरूद्ध कोई वाद अभियोजन अथवा अन्य न्यायिक कार्यवाही ग्रहण नहीं की जाएगी।

(ii) संस्था निबंधन अधिनियम एवं संस्था निबंधन नियमावली, 2025 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु संस्था निबंधक द्वारा उचित आदेश जारी किये जा सकेंगे।

14. उक्त पर झारखण्ड मंत्रिपरिषद् की दिनांक-11.07.2025 को संपन्न बैठक के मद संख्या-23 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रपत्र-'क'

संस्था का नाम-..... पता-..... जिला-..... निबंधन संख्या-.....

कर्मी का नाम	लिंग	कार्य दिवस की संख्या	बिना कटौती के नगद भुगतान की परिलब्धि	बकाया भुगतान यदि हो तो	अनुकम्पा के आधार पर किया गया भुगतान	समाजिक सुरक्षा निधि/भविष्य निधि में अंशदान
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

प्रपत्र-'ख'

संस्था का नाम-..... पता-..... जिला-..... निबंधन संख्या-.....

	प्राप्त राशि	किस मद में प्राप्त है।	व्यय की गयी राशि	शेष राशि
केन्द्र सरकार				
राज्य सरकार				
विदेश				

प्रपत्र-ग

संस्था का नाम	निबंधन संख्या तथा वर्ष एवं तिथि	निबंधित कार्यालय स्थल एवं जिला का नाम	उद्देश्य	कार्यक्षेत्र
1.	2.	3.	4.	5.

प्रपत्र-घ

नाम	Application ID एवं तिथि	संबंधित जिला	निबंधन अस्वीकार करने का कारण	निबंधन अस्वीकार करने की तिथि
1.	2.	3.	4.	5.

प्रपत्र-ङ

संस्था का नाम	निबंधन संख्या तथा वर्ष एवं तिथि	निबंधित कार्यालय स्थल एवं जिला का नाम	निबंधन रद्द करने का कारण	निबंधन रद्द करने की तिथि
1.	2.	3.	4.	5.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
सरकार के सचिव ।
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, रांची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 367 - 50